

UPCH040050272019



न्यायालय-सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।
उपस्थित-वसुन्धरा शर्मा.....उ0प्र0न्यायिक सेवा
मुकदमा संख्या-275/2019

उर्मिला देवी बनाम कृष्णकान्त उर्फ बबलू आदि

धारा-12(1) घरेलू हिंसा से महिलाओं
का संरक्षण अधिनियम
थाना- कोतवाली कर्वी
जिला-चित्रकूट।

24.05.2022

पत्रावली पेश हुई। बार-बार पुकार के बावजूद उभयपक्ष अनुपस्थित। पूर्व तिथि में परिवादिया को उपस्थित होने का अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है, किन्तु आज परिवादिया की ओर से न ही कोई उपस्थित है और न कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः परिवादिया की अनुपस्थिति में परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिया की अनुपस्थिति में परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(वसुन्धरा शर्मा)
सिविल जज(जू0डि0)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।
जी0ओ0कोड-यू0पी0-3394